क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1470/OA No-425/2022

दिनांक 13-09-2022

सेवा में,

श्री प्रदीप मिश्रा,
बोर्ड अधिवक्ता,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
बी–235, सेक्टर–19, नोयडा (उ0प्र0)

ई-मेल

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–425/2022 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त जारी आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्ठों का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 31.08.2022 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित है। सन्दर्भित ईट भट्ठों में से एक ईट भट्ठा मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ढ, ग्राम रामछितौनी, पोस्ट गरका, जनपद कासगंज के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्रांकःएच80794/सी–4/ईट–1043/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से रू0 4,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(डा0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को मयसंलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001
Phone & Fax : 0571 2743521
E-mail : roaligarh@uppcb.in

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

2. In view of the averments made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Kasganj. The Joint Committee shall meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.
3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
4. List the matter for further consideration on 11.10.2022.
5. A copy of this order, along with a copy of the application, be forwarded to State PCB and District Magistrate, Kasganj by e-mail for requisite compliance.

उक्त जारी आदेश के अनुपालन में ग्राम–रामछितौनी, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज में स्थित ईट भट्ठों की जांच किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज के पत्र संख्या–1202/ओ0ए0संख्या–425/2022 दिनांक 05.08.2022 (छायाप्रति संलग्न–1) के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी हैः–

1. उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कासगंज।
4. खान अधिकारी, कासगंज

उक्त समिति के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 के अनुपालन में निम्नलिखित ईंट भटठ्ों का निरीक्षण दिनांक 31.08.2022 को किया गया है–

क. मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।

ख. मै0 सरपंच ईट उद्योग, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।

ग. मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।

घ. मै0 फेमस ब्रिक्स, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।

उक्त वर्णित चारों ईंट भट्ठों की निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

क. **मै0 उजाला ब्रिक्स, (अक्षांश–27.747814 देशान्तर–78.893979) ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज–**

उपरोक्त ईंट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री मौ. आदिल खान (पार्टनर) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ऑफ सीजन होने के कारण ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।
2. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा 19 पाये, घाटी 08 का पाया गया। ईट भट्ठे का आकार गोल पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे का पूर्व में नाम मै0 श्री बालाजी ईट उद्योग था, जो कि वर्ष–2011 से स्थापित/संचालित है। ईट भट्ठे के वाणिज्यकर विभाग के दोनों प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न–2)। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्ठे का स्थल जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप है।
4. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
5. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
6. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
7. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
8. उक्त ईट भट्ठे को कार्यालय के पत्र संख्या–108298 एवं 108297 दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से दिनांक 31.07.2023 तक सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है।
9. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित नही पायी गयी।
10. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
11. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्ठे के द्वारा अभी तक जारी सहमति (जल/वायु) शर्तों की अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नही की गयी है।
12. उक्त ईट भट्ठे के जी.एस.टी. सर्टिफिकेट संख्या–09SSFFU7297NIZ5 के अनुसार ईट के पार्टनर श्री मौ. आदिल खान एवं श्री इसरार हुसैन, निवासी–ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज है।
13. *उक्त ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–1314 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को संस्तुति की गयी है, जिसके क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 80619/सी–4/ईट–1042/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 02.09.2022 (छायाप्रति संलग्न–3) के माध्यम से ईंट भट्ठे को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।*

AKE

2/5

घ. **मै0 सरपंच ईट उद्योग, (अक्षांश–27.747277 देशान्तर–78.910874), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।**

उपरोक्त ईंट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री सतेन्द्र (मुनीम) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।
2. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा 19 पाये, घाटी 08 का पाया गया। ईट भट्ठे का आकार गोल पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठे वर्ष–2010 से स्थापित/संचालित है। ईट भट्ठे के वाणिज्यकर विभाग के दोनों प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न है, (छायाप्रति संलग्न–4)।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी से लगभग–680 मीटर की दूरी पर उत्तर–पश्चिम दिशा में ग्राम–रामछितौनी स्थित हैं, दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग–960 मीटर की दूरी पर ग्राम–खरपरा स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग–450 मीटर की दूरी पर मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड स्थित है, दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग–320 मीटर की दूरी पर आम का बाग (कुल वृक्ष– 130, क्षेत्रफल लगभग–17 बीघा) स्थित है तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–230 मीटर की दूरी पर आम का बाग (कुल वृक्ष– 65, क्षेत्रफल लगभग–8 बीघा) स्थित है। ईट भट्ठे की चिमनी से दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद–गंजडुडवारा की सीमा लगभग–2.8 कि.मी. की दूरी पर है। ईट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नही है।
5. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
6. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
7. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
8. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
9. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित नही पायी गयी।
10. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
11. उक्त ईट भट्ठे के जी.एस.टी. सर्टिफिकेट संख्या–09CFQPK5386G3ZQ के अनुसार ईट के प्रोपराईटर श्री मौ. वसीम खान, निवासी–ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज है।
12. ***उक्त ईट भट्ठे को संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्राप्त नही है, जिसका बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच63517 दिनांक 16.07.2021*** (छायाप्रति संलग्न–5) ***के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार भविष्य में ईट भट्ठे का संचालन नियमानुसार बोर्ड से प्राप्त सहमति (जल/वायु) प्राप्त करके ही किया जायेगा। अनुपालन आख्या की छायाप्रति संलग्न है,*** (छायाप्रति संलग्न–6)।

ग. **मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, (अक्षांश–27.747432 देशान्तर–78.906299), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की निरीक्षण आख्या।**

उपरोक्त ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री अतर सिंह (चौकीदार) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।
2. निरीक्षण के समय ईट भठ्ठा 27 पाये, घाटी 08 का पाया गया। ईट भट्ठा आयताकार आकार का पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
3. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्ठा वर्ष–2021 से स्थापित/संचालित है। ईट भट्ठे का वाणिज्यकर विभाग का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है, (छायाप्रति संलग्न–7)।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी से लगभग–430 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में ग्राम–रामछितौनी स्थित हैं, पूरब दिशा में लगभग–450 मीटर की दूरी पर मै0 सरपंच ईट उद्योग स्थित है, दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग–230 मीटर की दूरी पर आम का बाग (कुल वृक्ष– 65, क्षेत्रफल लगभग–8 बीघा) स्थित है तथा पूरब दिशा में लगभग–730 मीटर की दूरी पर आम का बाग (कुल वृक्ष– 130, क्षेत्रफल लगभग–17 बीघा) स्थित है। ईट भट्ठे की चिमनी से दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद–गंजडुडवारा की सीमा लगभग–3.3 कि.मी. की दूरी पर है। ईट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नही है।
5. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
6. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
7. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
8. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
9. ईंट भट्ठे के द्वारा संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी है।
10. निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित नही पायी गयी।
11. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
12. उक्त ईट भट्ठे के जी.एस.टी. सर्टिफिकेट संख्या–09AQOPJ5861A3ZO के अनुसार ईट के प्रोपराईटर श्री मौ. जुबैर, निवासी–ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज है।
13. ***ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति एवं रू0 4,37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या–1313 दिनांक 01.09.2022 (छायाप्रति संलग्न–8)के माध्यम से संस्तुति की गयी है।***

AKE

4/5

घ. **प्रस्तावित ईट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, (अक्षांश–27.749965 देशान्तर–78.918164), गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की निरीक्षण आख्या।**

प्रस्तावित ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा परिसर में ईट भट्ठे के निर्माण हेतु पक्की ईटें भण्डारित पायी गयी। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया।
2. निरीक्षण के समय ईट भठ्ठा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल पर ईट भट्ठे की स्थापना कार्य किया जाना है।
3. ईट भट्ठे के प्रस्तावित स्थल से पूरब दिशा में लगभग–860 मीटर की दूरी पर ग्राम–पचपोखरा स्थित है, दक्षिण–पूरब दिशा में लगभग–670 मीटर की दूरी पर ग्राम–खरपरा स्थित है, दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–540 मीटर की दूरी आम का बाग (कुल वृक्ष– 130, क्षेत्रफल लगभग–17 बीघा) स्थित है, दक्षिण दिशा में लगभग–490 मीटर की दूरी पर आम का बाग (वृक्ष लगभग–40) स्थित है, दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–780 मीटर की दूरी पर मै0 सरपंच ईट उद्योग, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज स्थित है, दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद–गंजडुडवारा की सीमा लगभग–2.4 कि.मी. की दूरी पर है। ईट भट्ठे का प्रस्तावित स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नही है।
4. प्रस्तावित ईट भट्ठे द्वारा स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अभी तक स्थापनार्थ सहमति प्राप्त नही की गयी है।
5. उक्त प्रस्तावित ईट भट्ठे के जी.एस.टी. सर्टिफिकेट संख्या–09AAIFF3337KIZ6 (छायाप्रति संलग्न–9) के अनुसार ईट के पार्टनर के नाम पते निम्नवत् है:–
   - क. श्री मौ. उवैश पुत्र श्री एजाज खां, निवासी–पचपोखरा, थाना–गंजडुड़वारा, परगना व तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज।
   - ख. श्री मौ. अब्दुल खालिक पुत्र श्री अब्दुल लतीफ, निवासी–सुजावलपुर, थाना–गंजडुड़वारा, परगना व तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज।
   - ग. श्री मौ. यूनुस पुत्र श्री सरताज अली, निवासी–पचपोखरा, थाना–गंजडुड़वारा, परगना व तहसील–पटियाली, जनपद–कासगंज।
6. ***ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति कार्यालय के पत्र संख्या–1312 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से संस्तुति की गयी है, , जिसके क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच 80617/सी–4/ईट–1041/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 02.09.2022*** (छायाप्रति संलग्न–10) ***के माध्यम से ईट भट्ठे के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया है।***

(सुरेश लकड़ा)
खान अधिकारी
कासगंज

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोड
अलीगढ़

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अलीगढ़

(उज्जवल अम्बेश)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
कासगंज

(रितु सिरोही)
उपजिलाधिकारी, सहावर
कासगंज

5/5

संलग्नक -1

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:–

2. In view of the averments made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Kasganj. The Joint Committee shall meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.
3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
4. List the matter for further consideration on 11.10.2022.
5. A copy of this order, along with a copy of the application, be forwarded to State PCB and District Magistrate, Kasganj by e-mail for requisite compliance.

उक्त जारी आदेश के अनुपालन में ग्राम–रामछितौनी, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज में स्थित ईट भट्ठा की जांच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की जाती है:–

1. उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कासगंज।
4. खान अधिकारी, कासगंज

उक्त समिति के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 के अनुसार जांच की जाये। जांचोपरान्त पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाये। उक्त कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कर जांच आख्या एवं कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आईडी–judicial-ngt@gov.in पर प्रेषित की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(हर्षिता माथुर)
जिलाधिकारी
कासगंज।

पत्रांकः– 1202/OA No-425/2022 दिनांकः– 05-8-22

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों का अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

1. उपजिलाधिकारी, सहावर, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कासगंज।
4. खान अधिकारी, कासगंज।

जिलाधिकारी
कासगंज।

संलग्नक- 2

ak anand 71

FORM - XI

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh

[See sub-rule (8) and (10) of Rule - 32 of the UPVAT Rules, 2008]

Certificate of Registration and Allotment of TIN

09125903623C

M/S SHRI BALA JI ENT UDHYOG whose principal place of business is situated at **VILLAGE RAM CHHITONI POST GARHKA DISTT KANSHI RAM NAGAR,SAHAWAR** located in Commercial Tax Circle/Sector **Aligarh (B) / Kashiram Nagar Sector-1, AC** subject to provisions of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2007, is hereby registered as a dealer and **09125903623C** is allotted as its Taxpayer's Identification Number [TIN]. This Registration Certificate is valid with effect from **02-Dec-2011** ~~till~~ the business is discontinued.

Nature of Business	WholeSaler, Retailer, Manufacturer
Place of branches in U.P. & outside U.P.	Nil
Description of Trade/Commodity	1. Bricks 2. Coal and coke
Prop./Partner/Director Name & Address	1. CHAKRA VENU GOPAL MISHRA , PARTNER , VLLAGE RAMCHHITONI POST GARHKA 2. PAVAN KUMAR VARSHNEY , PARTNER , MOHALLA MORI SAHAWAR DISTT KANSHIRAM NAGAR

Registering Authority

Signature

असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर

खण्ड-1, कासगंज (कांशीराम नगर)

Place : Kasganj

Date : 10-Jan-2012

http://10.220.5.244/vyascentral/ReportForms/Registration/RegCertReport.aspx?tin=09125... 1/10/2012

ak anand 71

संलग्नक-2

FORM - XI

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh

[See sub-rule (8) and (10) of Rule - 32 of the UPVAT Rules, 2008]

Certificate of Registration and Allotment of TIN

09125903623C

M/S SHRI BALA JI ENT UDHYOG whose principal place of business is situated at **VILLAGE RAM CHHITONI POST GARHKA DISTT KANSHI RAM NAGAR,SAHAWAR** located in Commercial Tax Circle/Sector **Aligarh (B) / Kashiram Nagar Sector-1, AC** subject to provisions of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2007, is hereby registered as a dealer and **09125903623C** is allotted as its Taxpayer's Identification Number [TIN]. This Registration Certificate is valid with effect from **02-Dec-2011** ~~till~~ the business is discontinued.

Nature of Business	WholeSaler, Retailer, Manufacturer
Place of branches in U.P. & outside U.P.	Nil
Description of Trade/Commodity	1. Bricks 2. Coal and coke
Prop./Partner/Director Name & Address	1. CHAKRA VENU GOPAL MISHRA , PARTNER , VLLAGE RAMCHHITONI POST GARHKA 2. PAVAN KUMAR VARSHNEY , PARTNER , MOHALLA MORI SAHAWAR DISTT KANSHIRAM NAGAR

Registering Authority

Signature

Place : Kasganj

Date : 10-Jan-2012

http://10.220.5.244/vyascentral/ReportForms/Registration/RegCertReport.aspx?tin=09125... 1/10/2012

Government of India
Form GST REG-06
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09AAFFU7297N1Z5

1.	Legal Name	Ujala Bricks			
2.	Trade Name, if any	Ujala Bricks			
3.	Constitution of Business	Partnership			
4.	Address of Principal Place of Business	Vill Rayu Ram Chhitoni Post Garhka, Tehsil Sahawar, Kasganj, Kanshiramnagar, Uttar Pradesh, 207242			
5.	Date of Liability				
6.	Period of Validity	From	09/11/2018	To	NA
7.	Type of Registration	Regular			
8.	Particulars of Approving Authority				

Signature

Signature Not Verified
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(2)
Date: 2018.12.04 10:05:46 IST

Name	
Designation	
Jurisdictional Office	
9. Date of issue of Certificate	04/12/2018

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of application on 09/11/2018 .

Annexure B

GSTIN	09AAFFU7297N1Z5
Legal Name	Ujala Bricks
Trade Name, if any	Ujala Bricks

Details of Managing / Authorized Partners

1 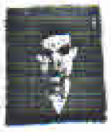

Name	Mohammad Adil Khan
Designation/Status	Partner
Resident of State	Uttar Pradesh

2

Name	ISRAR HUSAIN
Designation/Status	Partner
Resident of State	Uttar Pradesh

Annexure A

GSTIN 09AAFPU7297N1Z5

Legal Name Ujala Bricks

Trade Name, if any Ujala Bricks

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

संलग्नक -3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या: H8c6/19 /सी–4/ईंट–1042/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 2-9-22

मै0 उजाला ब्रिक्स,
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका,
तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।

मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मो0 आदिल खान (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढ़ी, प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल स्थापित नहीं पायी गयी एवं ईंट भट्ठे के परिसर में हरित पटिटका का विकास होते हुए नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा ईंट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु में वर्णित शर्तों की अनुपालन आख्या बोर्ड को प्रेषित नही की गयी है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 स0–425/22 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में आच्छादित है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–1314/केएस–537/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा प्रेषित ईंट भट्ठे की निरीक्षण आख्या में प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईंट भट्ठा मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं :–

1. यह कि क्यों न मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दे।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करे। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–4

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित समयावधि में प्रश्नगत ईंट भट्ठे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–4

संलग्नक-4

UPVAT - XI

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh
[See sub-rule (8) and (10) of Rule - 32 of the UPVAT Rules, 2007]

Certificate of Registration and Allotment of TIN

After Amendment w.e.f. 01/11/2011

09525903282

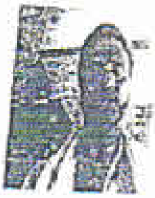

M/S **SARPANCH BRICKS** whose principal place of business is situated at **CHHITONI TEHSHIL SAHAWAR DISTT KANSHI RAM NAGAR,GARKA** located in Commercial Tax Circle/Sector **Aligarh (B) / Kashiram Nagar Sector-1, AC** subject to provisions of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2007, is hereby registered as a dealer and **09525903282** is allotted as its Taxpayer's Identification Number [TIN]. This Registration Certificate is valid with effect from **30-Dec-2010** till the business is discontinued.

Nature of Business	WholeSaler, Retailer, Manufacturer
Place of branches in U.P. & outside U.P.	NIL
Description of Trade/Commodity	1 . Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like 2 . Coal and coke

1 . ZIKRUL ISLAM, MOHALLA PACCHIM THOK GANJDUNDWARA
2 . MAHAMMAD WASIM, GRAM SUJABALPUR POST GANJDUNDWARA
3 . MOHAMMAD AYUB, VILL. PACHPOKHRA DISTT KANSHI RAM NAGAR

Place:
Date 12-Dec-2011

Registering Authority
Signature and seal

Scanned by CamScanner

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09CFQPK5386G3ZQ

1.	**Legal Name**	MOHAMMAD WASEEM KHAN			
2.	**Trade Name, if any**	SARPANCH BRICKS			
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship			
4.	**Address of Principal Place of Business**	[illegible] Chitauni, Sahawar Ganjdundwara Road, Kasganj, Kanshiramnagar, Uttar Pradesh, 207242			
5.	**Date of Liability**	[illegible] 2018			
6.	**Period of Validity**	From	04/01/2018	To	NA
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving Authority**				

Signature

Validity unknown
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK 1
Date: 2018.01.09 00:31:15 IST

Name	
Designation	
Jurisdictional Office	
9. Date of issue of Certificate	09/01/2018

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of application on 09/01/2018.

सत्यमेव जयते

GSTIN	09CFQPK5386G3ZQ
Legal Name	MOHAMMAD WASEEM KHAN
Trade Name, if any	SARPANCH BRICKS

Details of Proprietor

1

Name	MOHAMMAD WASEEM KHAN
Designation/Status	Prop
Resident of State	Uttar Pradesh

संलग्नक - 5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H63517 /C-4/Gen-II-758/Closure/2021 *Date 16.07.2021*

पंजीकृत

M/s Sarpanch Ent Udhyog, Village-Chitaoni, Sahawar, kasganj
कासगंज।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कासगंज की सूची में आपके ईट भट्ठें का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कासगंज में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–4)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

O/AEE/J.E

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–4)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

संलग्नक -6

प्राप्ति
दिनांक.................. हस्ताक्षर......
डायरी सं0 1924 फाइल सं0...
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अ0

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मै. सरपंच ईट उद्योग, ग्राम–छितौनी, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच63517/सी–4/सा–II-758/बन्दी/2021 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठा बन्द कर दिया गया है। भविष्य में ईट भट्ठे का संचालन नियमानुसार बोर्ड से प्राप्त सहमति जल/वायु प्राप्त करके ही करूंगा।

दिनांक :

भवदीय

मै. सरपंच ईट उद्योग,
ग्राम–छितौनी, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय, जनपद–कासगंज।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद–कासगंज।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।

25/8/21

संलग्नक - 7

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09AQOPJ5861A3ZO

1.	**Legal Name**	MOHD JUBAIR
2.	**Trade Name, if any**	DIAMOND BRICKS FIELD
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship
4.	**Address of Principal Place of Business**	Chhitoni Bus Stop, Chhitoni, POST GANJDUNDWARA, Chhitoni, Kasganj, Uttar Pradesh, 207242
5.	**Date of Liability**	24/04/2022
6.	**Period of Validity**	From 24/04/2022 To Not Applicable
7.	**Type of Registration**	Regular
8.	**Particulars of Approving Authority**	Centre

Signature

Signature Not Verified
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(4)
Date: 2022.04.26 15:45:33 IST

Name	Rakesh Kumar Verma
Designation	Superintendent
Jurisdictional Office	Kashiram Nagar Sector-2
9. Date of issue of Certificate	26/04/2022

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 26/04/2022 by the jurisdictional authority.

Annexure B

GSTIN	09AQOPJ5861A3ZO
Legal Name	MOHD JUBAIR
Trade Name, if any	DIAMOND BRICKS FIELD

Details of Proprietor

1

Name	MOHD JUBAIR
Designation/Status	PROPRIETOR
Resident of State	Uttar Pradesh

संलग्नक-8

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1313/KD-104/2022 दिनांक 01.09.22

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, (अक्षांश–27.747432 देशान्तर–78.906299), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम–1981 प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में आच्छादित है। उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 31.08.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या मूल रूप में संलग्न कर उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं निवारण) अधिनियम–1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

कार्यालय पता : जे–1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़–202001 Phone & Fax : 0571-274352
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.

डायमण्ड ब्रिक फील्ड, (अक्षांश–27.747432 देशान्तर–78.906299), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 31.08.2022 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री अतर सिंह (चौकीदार) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।
2. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा 27 पाये, घाटी 08 का पाया गया। ईट भट्ठा आयताकार आकार का पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
3. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्ठा वर्ष–2021 से स्थापित/संचालित है। ईट भट्ठे का वाणिज्यकर विभाग का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
4. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी से लगभग–430 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में ग्राम–रामछितौनी स्थित हैं, पूरब दिशा में लगभग–450 मीटर की दूरी पर मै0 सरपंच ईट उद्योग स्थित है, दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग–230 मीटर की दूरी पर आम का बाग (कुल वृक्ष–65, क्षेत्रफल लगभग–8 बीघा) स्थित है तथा पूरब दिशा में लगभग–730 मीटर की दूरी पर आम का बाग (कुल वृक्ष– 130, क्षेत्रफल लगभग–17 बीघा) स्थित है। ईट भट्ठे की चिमनी से दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद–गंजडुडवारा की सीमा लगभग–3.3 कि.मी. की दूरी पर है। ईट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नही है।
5. ईट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईट का उत्पादन किया जाना है।
6. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
7. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
8. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।
9. ईट भट्ठे के द्वारा संचालन हेतु सहमति जल/वायु प्राप्त नहीं की गयी है।
10. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी., प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल की स्थापित नही पायी गयी।
11. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।
12. उक्त ईट भट्ठे के जी.एस.टी. सर्टिफिकेट संख्या–09AQOPJ5861A3ZO के अनुसार ईट के प्रोपराईटर श्री मौ. जुबैर, निवासी–ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज है।
13. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–425/2022 एम.सी. द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में ग्राम–राम छितौनी में स्थित उक्त ईट भट्ठा आच्छादित है।

निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईट भट्ठे का संचालन दिनांक 15.05.2022 से दिनांक 18.06.2022 तक किया गया। अतः दिनांक 15.05.2022 से दिनांक 18.06.2022 तक कुल 35 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC= PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0=12,500/- प्रतिदिन की दर से 35 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x35=4,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम–1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(हस्ताक्षर) 01.9.22
(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(हस्ताक्षर) 01/09/22
(अजय कुमार)
सहा0 पर्या0 अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।

AEE Sir Ent/Bhatta Report 2022

संलग्नक-9

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09AAIFF3337K1Z6

1.	**Legal Name**	FAMOUS BRICKS			
2.	**Trade Name, if any**	FAMOUS BRICKS			
3.	**Additional trade names, if any**	null			
4.	**Constitution of Business**	Partnership			
5.	**Address of Principal Place of Business**	0, KHARPARA POST, Ganj Dundwara, Kasganj, Uttar Pradesh 207242			
6.	**Date of Liability**	28/08/2022			
7.	**Period of Validity**	From	28/08/2022	To	Not Applicable
8.	**Type of Registration**	Regular			
9.	**Particulars of Approving Authority**	Signature Not Verified Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(4) Date: 2022.08.30 [illegible]:45:32 IST			

Signature

Name	Shailendra Kumar Dushu
Designation	Superintendent
Jurisdictional Office	Kashiram Nagar Sector-I
Date of issue of Certificate	30/08/2022

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of [illegible]

[illegible] digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of [illegible]

[illegible]

GSTIN	09AAIFF3337K1Z6
Legal Name	FAMOUS BRICKS
Trade Name, if any	FAMOUS BRICKS
Additional trade names, if any	null

Details of Managing / Authorized Partners

1		Name	MOHAMMAD UVESH
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Uttar Pradesh
2		Name	ABDUL KHALIK
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Uttar Pradesh
3	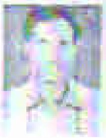	Name	MOHAMMAD YUNUS
		Designation/Status	PARTNER
		Resident of State	Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

दिनांक 2/9/22

संदर्भ संख्या 1306/17 /सी–4/ईंट–1041/बन्दी आदेश/2022,

मै0 फेमस ब्रिक्स, (निर्माणाधीन)
गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज।

निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज ईंट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित किया जा रहा है/स्थापित जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा परिसर में ईंट भट्ठे के निर्माण हेतु पक्की ईंटें भण्डारित पायी गयी एवं ईंट भट्ठे के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। ईंट भट्ठे के प्रस्तावित स्थल से पूरब दिशा में लगभग–860 मीटर की दूरी पर ग्राम–पचपोखरा, दक्षिण–पूरब दिशा में लगभग–870 मी0 की दूरी पर ग्राम–खरपरा, दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–540 मी0 की दूरी पर आम का बाग, दक्षिण दिशा में लगभग–490 मी0 दूरी पर आम का बाग स्थित है एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–780 मी0 दूरी पर मै0 सरपंच ईंट उद्योग, ग्राम–रामछितौनी, पो0 गरका, थाना–गंजडुडवारा, तह0 सहावर जनपद–कासगंज स्थित है। दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद गंजडुडवारा की सीमा लगभग 2.4 कि.मी. की दूरी पर है। निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित किया जा रहा है। ईंट भट्ठा बोर्ड द्वारा जारी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–425/22 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 से आच्छादित है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ के द्वारा पत्रांक–1312/एनओसी–3121/2022 दिनांक–01.09.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा– 31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 01.09.2022 के अनुक्रम में निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते है :–

1. यह कि निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज द्वारा अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईंट भट्ठा के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज को मिलने वाली सुविधाओं जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला पंचायत की अनुमति आदि न दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग के संचालन को तत्काल अपने स्तर से बंद करवाने हेतु कृपया सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय के साथ कि भट्ठे का लाइसेन्स निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या तीन दिन में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

सन्दर्भ संख्या : [illegible]/सी–4/ईंट–1043/बन्दी आदेश/2022 दिनांक : 9/9/22

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, पोस्ट–गरका,
ग्राम–रामछितौनी,
जनपद–कासगंज

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी [illegible] का ईंट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थान पर स्थापित है जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 [illegible] के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

[illegible] के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा [illegible] श्री अतर सिंह (चौकीदार) की उपस्थिति में किया गया। संदर्भित ईंट भट्ठा चिमनी से लगभग लगभग–430 मीटर की दूरी [illegible] उत्तर दिशा में ग्राम–रामछितौनी, पूरब दिशा में लगभग–450 मी0 की दूरी पर मै0 सरपंच ईंट उद्योग स्थित है, दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग–230 मी0 की दूरी पर आम का बाग तथा पूरब दिशा में लगभग– 730 मी0 दूरी पर आम का बाग स्थित है। ईंट भट्ठे की चिमनी से दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद–गंजडुण्डवारा की सीमा लगभग–3.3 कि.मी. की दूरी पर है, जो .2012 की नियमावली के विरुद्ध है। तदनुसार प्रश्नगत ईंट भट्ठे की स्थापना राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना की गयी है एवं बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–425/22 एन0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में आच्छादित है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि –

"21. Restrictions on use of certain industrial plants.—
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......"

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्र सं0–1313/केडी–104/2022 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरुद्ध दिनांक 15.05.2022 से 18.06.2022 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0 12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0 4,37,500/– (रूपये चार लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–37 के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईंट भट्ठा मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के विरुद्ध दिनांक 15.05.2022 से 18.06.2022 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0 12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0 4,37,500/– (रूपये चार लाख सैंतीस हजार पाँच सौ) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है –

1. यह कि मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे को की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Website: www.uppcb.com